न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2017/00042 (23/2017) दायरा दिनांक : 02.02.2017

उनवान

1– जगन्नाथ पुत्र किशना उर्फ किशन लाल उम्र 52 वर्ष
2– रामस्वरूप पुत्र किशना उर्फ किशनलाल उम्र 50 वर्ष
3– लड्डू पुत्र किशना उर्फ किशनलाल उम्र 37 वर्ष (लापता) जातियान ब्राह्मण निवासीगण रिंछडा, तहसील छबडा, जिला बारां (राज०)

–अपीलान्ट

बनाम

1– रामदयाल पुत्र लक्ष्मी नारायण
2– नवल पुत्र लक्ष्मी नारायण
3– नन्दकिशोर पुत्र लक्ष्मी नारायण
4– कान्ति पुत्री लक्ष्मी नारायण पत्नी बना पुत्र जमनालाल जातियान ब्राह्मण निवासी चांवाखेडी, तहसील छबडा, जिला बारां (राज०)
5– चन्दा पुत्री लक्ष्मी नारायण पत्नी कल्याण जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम परोलिया तहसील छबडा, जिला बारां (राज०)
6– चतुर्भुज पुत्र नरसिंह जाति माहेश्वरी महाजन निवासी छबडा, जिला बारां (राज०)
7– प्रेमनारायण पुत्र भागचन्द जाति धाकड निवासी ग्राम रिंछडा, तहसील छबडा, जिला बारां (राज०)
8– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार छबडा, जिला बारां (राज०)

.... रेस्पोडेन्ट्स

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान का तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित– श्री भगवती बल्लभ शर्मा व श्री उत्पल शर्मा अभिभाषक अपीलांट की ओर से
रेस्पोडेंटगण अनुपस्थित

निर्णय दिनांक : 10.12.2024

ये अपील उपखण्ड अधिकारी छबडा के प्रकरण संख्या –22/2015 निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 21.06.2016 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण/अपीलांटगण ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश कर कथन किया कि ग्राम रींछडा तहसील छबडा में वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 7 रकबा 15.00 बीघा, खसरा नं. 14 रकबा 0.17 बीघा, खसरा नं. 51 रकबा 0.18 बीघा, खसरा नं. 53 रकबा 0.04 बीघा, खसरा नं. 54 रकबा 1.03 बीघा, खसरा नं. 55 रकबा 0.06 बीघा, खसरा नं. 78 रकबा 0.17 बीघा, खसरा नं. 81 रकबा 0.10 बीघा, खसरा नं. 83 रकबा 3.04 बीघा, खसरा नं. 189 रकबा 6.14 बीघा, खसरा नं. 142 रकबा 0.05 बीघा, खसरा नं. 143 रकबा 0.17 बीघा, खसरा नं. 156 रकबा 3.11 बीघा, खसरा नं. 201 रकबा 0.05 बीघा, खसरा नं. 202 रकबा 0.15 बीघा, खसरा नं. 206 रकबा 0.03 बीघा, खसरा नं. 207 रकबा 0.06 बीघा, खसरा नं. 208 रकबा 0.12

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बीघा, कुल किता तादादी 52.12 बीघा शामलाती खाते में दर्ज चली आ रही थी तथा इसी प्रकार खसरा नं. 80 रकबा 2.06 बीघा दर्ज चली आ रही है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबडा ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 21.06.2016 से वादी का वाद स्वीकार किया, जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांटगण ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री जैर अपील कानून के एवं प्राकृतिक न्याय प्रक्रिया संहिता के प्रावधानो के विपरीत होने एवं न्याय के साधारण सिद्धांतो की पालना न करने से काबिल निरस्तनीय है। राजस्व लोक अभियान मे मात्र जमाबंदी के आधार पर वाद डिक्री कर दिया तथा कब्जे के तथ्य को नजर अंदाज कर दिया जबकि खसरा नम्बर 14 रकबा 17 बीघा के सम्पूर्ण भू–भाग पर वादीगण/अपीलान्ट का कब्जा चला आ रहा है। उक्त आक्षेप वादीगण/अपीलान्ट द्वारा राजस्व के रूप में भी उठाया था किन्तु वादी की बात को अनसुना करते हुए खसरा नम्बर 14 रकबा 17 बीघा को सम्पूर्ण रूप से वादी के खाते मे ना बांध कर बंटवारा कर दिया जबकि प्रतिवादी क्रम–1 लगायत 5 भी वादी की बात से पूर्ण रूप से सहमत थे परन्तु राजस्व अधिकारियो एवं पीठासीन अधिकारी द्वारा मात्र लोक अदालत में फैसला करने की गरज से उक्त वाद का लोक अदालत की भावना के विरूद्ध मनमाने तोर पर डिक्री कर दिया, इस कारण से निर्णय व डिक्री काबिल निरस्तनीय है।

अतः अपील पेश कर निवेदन है कि निर्णय जैर अपील दिनांक 21.06.2016 को पारित निर्णय एवं डिक्री में संशोधन कर वाद पत्र में अंकित एवं निर्णय एवं डिक्री में वर्णित खसरा नम्बर 14 रकबा 17 बीघा मे ट्यूबवेल वाला हिस्सा अपीलान्ट के खाते दर्ज करने के आदेश फरमाये जावे।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 21.11.2016 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने अपील मीमो में अंकित तथ्यों का दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में हमारे द्वारा बंटवारे का दावा पेश किया जिसमें राजीनामे से डिक्री हुई। खसरा नं. 14 की जमीन हमारे कब्जे की है जबकि खसरा नं. 14 की जमीन में 1/2, 1/2 हिस्सा कर दिया गया। खसरा नं. 14 की जमीन पर हमारा मकान बना है, ट्यूबवेल लगा हुआ है। अतः यह सम्पूर्ण भूमि हमे देते हुए अन्य खसरा नं. की भूमि में से हमारी भूमि कम कर दी जाये जिस पर हमें कोई आपत्ति नहीं है। अतः अपील स्वीकार की जाकर रिमाण्ड की जावें।

अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया । हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट की एकपक्षीय बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया। अपीलांट वादीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 21/06/2016 के विरुद्ध अपील प्रस्तुत कर मुख्य रूप से यह कथन किया है कि विवादित आराजी नाथू जी एवं किसना जी सगे भाई होने के कारण शामलाती खाते में दर्ज चली आ रही है तथा नाथू जी एवं किसना जी फोत होने के उपरान्त आराजी उनके वारिसान अर्थात अपीलांट एवं रेस्पो. क्रम 1 लगायत 5 के खाते दर्ज हो गई तथा उक्त आराजी का फैमिली सेटलमेंट पूर्व में आपसी सहमति एवं रजामंदी से हो गया था तथा फैमिली सेटलमेंट के अनुसार ही अपीलांट एवं रेस्पो. क्रम 1 लंगायत 5 काबिज काश्त चले आ रहे थे । फैमिली सैटलमेंट के अनुसार खाता संख्या 31 खसरा नं. 7 रकबा 15 बीघा भूमि रेस्पो 1 लगायत 5 के कब्जे काश्त में थी तथा खाता सं. 125 में स्थित खसरा नं. 14 रकबा 17 बीघा अपीलांट के कब्जे काश्त में थी। रेस्पोडेंट नं. 1 लगायत 5 द्वारा खसरा नं. 7 की 1/2 आराजी का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से रेस्पोडेंट नं. 6 चतुर्भुज को करने से वर्तमान में खसरा नं. 7 की आराजी अपीलांट एवं रेस्पोडेंट नं. 6 के खाते 1/2, 1/2 दर्ज हो रही है।

अपीलांट वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वाद को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लोक अदालत की भावना से तथा फैमिली सेटलमेंट के अनुसार समस्त पक्षकारों द्वारा मान्य होने के कारण न्याय आपके द्वार अभियान 2016 में कैम्प कोर्ट बारई में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा डिक्री फरमा दिया, जो अपीलांट को स्वीकार है किन्तु एक खसरा नं. जो खाता सं. 125, खसरा नं. 14 रकबा 17 बीघा पूर्व में वादी के कब्जे काश्त में था तथा जिस पर वादी द्वारा ट्यूबवेल लगवाया हैं। वादी एवं प्रतिवादी के खाते 1/2, 1/2 लगवाने का निर्णय वादी की आपत्ति के बाद भी कर दिया जो कानून एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत होने से निरस्त योग्य है।

राजस्व लोक अदालत में मात्र जमाबंदी के आधार पर वाद डिक्री कर दिया खसरा नं. 14 रकबा 17 बीघा के सम्पूर्ण भू–भाग पर वादी अपीलांट का कब्जा चला आ रहा है। प्रतिवादी 1 लगायत 5 भी वादी की बात से पूर्णरूप से सहमत थे परंतु राजस्व अधिकारियों ने लोक अदालत की भावना के विरुद्ध मनमाने तौर पर पारित निर्णय व डिक्री काबिल निरस्तनीय है। अतः जैर अपील निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 21/06/2016 को पारित निर्णय एवं डिक्री में संशोधन कर खसरा नं. 14 रकबा 17 बीघा में ट्यूबवेल वाला हिस्सा अपीलांट के खाते दर्ज करने का आदेश फरमाया जावे।

अपीलांट द्वारा अपील में उल्लेखित उक्त तथ्यों की पुष्टि के क्रम में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं निर्णय का गहनता से अवलोकन करने पर यह पाया गया कि प्रतिवादी रेस्पोडेंट 1 लगायत 5 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत जवाब दावे से अपीलांट के फैमिली सेटलमेंट एवं खसरा नं. 7 व 14 की आराजी के संदर्भ में अंकित कथनों की पुष्टि होती है। प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 द्वारा संयुक्त खातेदारी की कुल 54 बीघा 18 बिस्वा आराजी के पारिवारिक बंटवारे के अनुसार हुए विभाजन की स्थिति का वर्णन जवाब दावे की मद नं. 2,3,4,5 में किया है। इससे भी यही स्पष्ट होता है कि

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

खसरा नं. 7 रकबा 15 बीघा आराजी प्रतिवादी रेस्पोडेंट नं. 1 लगायत 5 के कब्जे काश्त में रही है एवं खसरा नं. 14 रकबा 17 बीघा आराजी वादी अपीलांट के कब्जे काश्त में रही है परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में वादी, प्रतिवादीगण द्वारा उल्लेखित इस तथ्य की ओर आपसी समझौते से राजस्व लोक अदालत में निर्णय पारित करते वक्त ध्यान नहीं दिया जबकि राजस्व लोक अदालत में आपसी सहमति एवं समझौते के आधार पर ही राजस्व लोक अदालत की भावना के अनुरूप निर्णय पारित करना चाहिए था। रेस्पोडेंट बाद सूचना अपीलीय न्यायालय के समक्ष अनुपस्थित रहे है इसलिए उनका पक्ष अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं हो पाया है। अतः केवल वादी के कथनानुसार एकपक्षीय निर्णय पारित कर अधीनस्थ न्यायालय में राजस्व लोक अदालत में आपसी सहमति से हुए निर्णय में केवल खसरा नं 14 की भूमि के संदर्भ में अपीलांट के कथनानुसार संशोधन करना उचित नहीं समझते।

उपरोक्त विवेचन के अधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक दि. 21/06/16 अपास्त किया जाता है। पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि उभयपक्ष को सुनवाई हेतु पुनः समुचित अवसर प्रदान कर यदि उभयपक्ष अपने पारिवारिक समझौते के अनुसार राजीनामा प्रस्तुत करते है, तो उसे विधिवत रूप से तस्दीक करने के पश्चात् राजीनामे के अनुसार पुनः विधिवत् निर्णय पारित करे। उभयपक्ष राजीनामे के लिए सहमत नहीं होने की स्थिति में सुनवाई हेतु निर्धारित विधिवत् प्रकिया की पालना सुनिश्चित करतें हुए पुनः विधिवत् निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 24.02.2025 को उपस्थित होवें ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

10/12/2024

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा